an>

Title: Need to redress the grievances of gun dealers in the country.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) ः आर्म्स एक्ट केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होता है, अतः शस्त्र व्यवसायियों की जटिल समस्याओं के समाधान हेतु कृपया निम्नलिखित परिवर्तनों की आवश्यकता हैः-

1. **नवीन शस्त्र लाइसेंस (व्यक्तिगत) पर लगी रोक शीघ्र हटवायी जायेः-** पिछले लगभग 3 वर्षों से नवीन शस्त्र लाइसेंस (व्यक्तिगत) पर इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ बैंच ने जितेन्द्र सिंह बनाम सरकार केस के अंतर्गत अनावश्यक रूप से रोक लगा रखी हैं। इस कारण नये शस्त्र की बिक्री पूरी तरह बंद हैं। जबकि उ.प्र. सरकार के अलावा भारत के किसी भी राज्य में नवीन शस्त्र लाइसेंस (व्यक्तिगत) पर रोक नहीं हैं।

2. **कारतूस खरीदने पर खोखा वापस करने का आदेश वापस कराया जायेः-** पुराने खोखे वापस करने का उ.प्र. सरकार का दिनांक 29.12.2014 का दिशा-निर्देश लागू होने से पहले से ही मंद चल रहे व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा हैं। उ.प्र. सरकार द्वारा दिनांक 29-12-2014 को दिए गये इस अव्यवहारिक आदेश को समाप्त कराने हेतु उ.प्र. सरकार को आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3. **शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंस के नवीनीकरण की अवधि बढ़ायी जायेः-** शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंस के नवीनीकरण की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर आजीवन या कम से कम 3 वर्ष की जाये। सरकार को अवगत कराना हैं कि भारतवर्ष के अनेक राज्यों में शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंस के नवीनीकरण की अवधि 3 वर्ष हैं। शस्त्र व्यवसायियों द्वारा अनेकों बार प्रदेश सरकार से उक्त की मांग की जा चुकी हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ हैं।

4. **जरूरतमंदों को शस्त्र लाइसेंस देने हेतु नियम शिथिल किए जायेः-** आर्म्स एक्ट मे संशोधन कर प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्त को आत्मरक्षा हेतु न्यूनतम औपचारिकताओं के साथ नवीन शस्त्र लाइसेंस (व्यक्तिगत) प्रदान करने की नीति बनायी जाए।

5. **प्रति लाइसेंस (व्यक्तिगत) पर कारतूस खरीदने/रखने की मात्रा बढ़ायी जाएः-** प्रति व्यक्ति, प्रति लाइसेंस पर एक बार में 50 कारतूस (एन.पी.बी. बोर) व वर्ष में 200 कारतूस क्रय करने की अनुमति प्रदान की जाए।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि शस्त्र व्यवसायियों की उक्त समस्या के निराकरण हेतु प्रभावी कदम उठाये जाएं।